प्रेस–विज्ञप्ति सूचना संख्या–01

एतत् द्वारा श्री श्रीकान्त कुमार गुप्ता, निम्न वर्गीय लिपिक, ग्राम–बेलांव, पो0–खरेन्दा, थाना–रामपुर, जिला–कैमूर भभुआ सिंचाई प्रमंडल, डिहरी अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, बसावन में पदस्थापित को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27.07.2023 से दिनांक 10.07.2025 तक अपने पदस्थापित कार्यालय सिंचाई अवर प्रमंडल बसावन से अनुपस्थित है। इस कार्यालय का पत्रांक 894 दिनांक 28.07.2023, पत्रांक 898 दिनांक 31.07.2023, पत्रांक 941 दिनांक 10.08.2023, पत्रांक 1279 दिनांक 07.12.2023, पत्रांक 1175 दिनांक 01.11.2023, पत्रांक 1141 दिनांक 18.10.2023, पत्रांक 76 दिनांक 19.01.2024, पत्रांक 1020 दिनांक 04.09.2024, पत्रांक 1200 दिनांक 15.10.2024 एवं पत्रांक 953 दिनांक 08.07.2025 से आपको स्थानान्तरित कार्यालय दुर्गावती दायां तट नहर प्रमंडल, चेनारी में योगदान करने हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई अवर प्रमंडल, बसावन के द्वारा आपको एवं इस कार्यालय के उपर्युक्त वर्णित पत्रों द्वारा स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान करने हेतु सुचना अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल, भभुआ एवं मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, डिहरी को दिया जाता रहा है। परन्तु आपके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश के अवहेलना एवं सरकारी कार्य के प्रति आपके द्वारा घोर उदासीनता का परिचय देते हुए आप नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान नहीं किये है। करीब दो वर्ष की अवधि ब्यतित होने के उपरान्त भी नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान नहीं किया जाना एवं इस संबंध में कोई सूचना आपके स्तर से कार्यालय को उपलब्ध नहीं होने के कारण आपको प्रेस–विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करते हुए कहना है कि प्रेस–विज्ञप्ति प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय में हर–हाल में करना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब की स्थिति में आपके विरूद्व अनुशासनात्मक/दण्डानात्मक/विभागीय कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें, तथा भविष्य में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

11/7/25

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, डिहरी